

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० ५८/ XXVII(8) / वाणिज कर (वैट) / 2008
दिनांक: देहरादून : २। फरवरी, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना चाहींगा

है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपर्कित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) के (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-१ के क्रमांक ३ की वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित करने तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं-

“३. मोबेड प्लारिटक फुटवियर, हवाई घट्टले एवं उनके स्ट्रैप्स।”

(आलोक कुमार जीभ)
प्रमुख रायिव, वित्त।

सं० ५८/ XXVII(8) / वाणिज्य कर(वैट) / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत करने का कष्ट करें।
आवश्यक कार्यवाही २करनिदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियों वित्त अनुभाग ४ में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर्याप्त अनुभाग फाईल हेतु।
उत्तराखण्ड देहरादून

आशा से,

(रमेश कुमार)
अपर रायिव, वित्त,

४४३३

२३-२-०८

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 147/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 29/February, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 147/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008


Dehradun :: Dated: 29 February, 2008

AC II A
Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007. (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that, from the date of publication of this Notification in the Gazette, the existing entry at sl.no. 3 of schedule I of the Uttarakhand (Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall be deleted and the following entry shall be substituted at its place, namely:-

"3. Moulded plastic footwear, hawai chappals and their straps."


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE